न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
03/2019	23.01.2019	29.01.2021

1. जुहरू खॉं पुत्र निज्जर जाति मेव निवासी सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रार्थीगण

बनाम

1. जीमल खॉं पुत्र मुर्राखा खा
2. मुवीन खा पुत्रान मुर्राखा खा
3. मरियर बेवा मर्राखा जातियान मेव निवासी सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. हुण्डल पुत्र
5. असरूखा पुत्रान निज्जर जातियान मेव निवासी सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. आयाराम पुत्र जेहमल जाति खत्री निवासी सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. रहमान पुत्र छुट्टन खॉं जाति मेव निवासी सौरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय:–

दिनांक :– 29.01.2021

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि :–
   1. यह है कि वाके ग्राम सौरखा कलां तहसील मुण्डावर के खाता ख0 75 मे वर्णीत हाल खसरा नम्बर 143 रकबा 0.15 है0 व उक्त खाता में वर्णीत आराजी मिन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की आराजी है तथा मिन प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान ने आपसी सहमति से बहामी बंटवारा किया [illegible] खसरा नम्बर 143 रकबा 0.15 है0 मिन प्रार्थी के हिस्से आयी [illegible] लिए अन्य सहखातेदारान को प्रार्थना पत्र के पक्षकार नही [illegible]
   2. यह है कि खसरा नम्बर 143 रकबा 0.15 [illegible] ग्राम सौरख[illegible] तहसील मुण्डावर मिन प्रार्थी के कब्जेकाश्त एवं खाते[illegible] काबिज है तथा काश्त कर रहा है तथा आ[illegible] मिन प्रार्थी के नाम अंकन दर्ज हो रहा है तथा मिन प्रार्थी ने आराजी में एक कृषि [illegible]र्य हेतु मकान का निर्माण किया हुआ है।
   3. यह है कि मिन प्रार्थी अपनी आराज़ी में व आराजी में बन मकान में आने जाने के लिये कोई रिर्काडेड रास्ता नही है, रास्ता नही होने के कारण मिन प्रार्थी अपनी आराजी में सामान लाने ले जाने व आवागमन करने में असमर्थ है।
   4. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 137 रक़बा 0.43 है0 आम रास्ता के साथ स्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर 137 में मिन प्रार्थी का 1/4 भाग है तथा शेष हिस्सा अप्रार्थी स0 1 ल0 5 का है तथा उक्त खसरा नम्बर137 के साथ लगते हुये खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:04:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी

नम्बर 141 रकबा 0.08 है0, 142 रकबा 0.09 है0, अप्रार्थी स0 6 की आराजी है, तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 137 की पूर्वी डोल के साथ तथा आराजी खसरा नम्बर 141, 142 की दक्षिण की डोल के सहारे सहारे व खसरा नम्बर 141 से की पूर्वी डोल से अपनी आराजी में आवागमन कर रहा है,, लेकिन रास्ता रिर्कोडेड नही होने के कारण मिन प्रार्थी को परेशानी हो रही है। इसलिए मिन प्रार्थी को 20 फुट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 137, 141, 142 में कायम करते हुये दिलाया जावे। जिससे मिन प्रार्थी अपनी आराजी मे सुविधाजनक तरीके से आवागमन कर सके।

5. यह है कि मिन प्रार्थी को अपनी आराजी व आराजी में स्थित मकान तक पहुचने वो वापिस आने में बडी रूकावट वा मुसीबत होती है, तथा अप्रार्थीगण आये दिन रास्ता बन्द कर देते है, जिससे मिन प्रार्थी को काफी परेशानी होती है तथा अब दिनांक 15.01.2019 को अप्रार्थीगण ने रास्ता बन्द करने की ऐलानिया धमी दी है। बस यही प्रार्थना पत्र हेतु बिनायदावी व बिनायमुखस्मत पैदार होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी आया है।

6. यह है कि मिन प्रार्थी के पास अपनी आराजी में व आराजी में निर्मित मकान में आवागमन का कोई रिर्कोडेड रास्ता नही है, इसलिए मिन प्रार्थी खसरा नम्बर 137, 141, 142 में से नया रास्ता कायम कराने के अधिकारी है इसलिए मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किा जा रहा है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि –

यह है कि आराजी खसरा नम्बर 143 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम सौरखा कलां तहसील मुण्डावर तक पहुचने के लिये, मिन प्रार्थी को आराजी हाल खसरा नम्बर 137, 141, 142 वाके ग्राम सौरखा कलां तहसील मुण्डावर में से 20 फुट चौडा नया रास्ता कायम कर, रास्ता घोषित किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

1. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। अप्रार्थी सं0 04, 05 ओर से अधिवक्ता श्री धर्मवीर बडसीवाल, अप्रार्थी सं0 08 की ओर से दुलिचन्द मीश्रा उपस्थित हुए। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र में सुनवाई हेतु रखा गया।
2. प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72, नक्शा ट्रेस पेश किये गये।
3. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही किये गये।
4. तहसीलदार, मुण्डावर से मौका रिपोर्ट ली गई।
5. बहस वकूलाय सुनी गई। अप्रार्थी वकील आराजी खसरा नम्बर 143 की आराजी सहखातेदारी की है। बहामी बंटवारा कर रखा है। ख0नं0 143 की किस्म गै0 मु0 चाह है। गै0 मु0 चाह का बटवारा नही हो सकता है। खसरा नम्बर 143 में मकान का निमार्ण किया है। ऐसा साक्ष्य नही है। आने आने का रास्ता नृही हें रिर्कोड रास्ता नही है। खसरा नम्बर 143 में 1/2 भाग मे कब्रिस्तान है। उसके लिए भी रास्ता चाहिए व रिर्कोडेड में रहमान (अप्रार्थी –8) भी है। परन्तु मौके पर जुहरू ही खातेदार है। सजरा सही है। आराजी खसरा नम्बर 137, 141, 142 अप्रार्थी स0 6 आयारम की [illegible]। मृतक के खिलाफ प्रार्थना पत्र पेश किया है। मरियर का वादी [illegible] हक है। तहसीलदार रिपोर्ट में केवल पटवारी की मौके पर [illegible] धारा 69 के अनुसार भू0 अ0 नि0 के स्तर से कम [illegible] कर्मचारी की [illegible] की रिपोर्ट नही कर सकता है उक्त रिपोर्ट विधि के अनुरूप [illegible] आर डी पेज नम्बर 424 में स्पष्ट रूप से माननीय [illegible] द्वारा किया गया मौका निरीक्षण रिपोर्ट को उक्त प्रकृति के प्रकरणों के लिए उचित नही माना गया है। उक्त खसरा नम्बर के बाबत अन्तर्गत धारा 88 का दावा भी विचाराधीन है।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

खसरा नम्बर 143 गै0 मु0 चाह दर्ज रिकोर्ड है, सहखातेदारी की आराजी है, 1/2 भाग में कब्रिस्तान है। अन्तर्गत धारा 69 के अनुसार तहसीलदार से रिपोर्ट पेश नही की गई। उक्त खसरे से संबंधित अन्तर्गत धारा 88 के तहत दावा विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:04:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

—:: आदेश ::—

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। खसरा नम्बर 143 गै0 मु0 चाह दर्ज रिकोर्ड होने, सहखातेदारी की आराजी होने, 1/2 भाग में कब्रिस्तान होने, अन्तर्गत धारा 69 के अनुसार तहसीलदार से रिपोर्ट पेश नही करने एवं उक्त खसरे से संबंधित अन्तर्गत धारा 88 के तहत दावा विचाराधीन होने के कारण यह प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारीज किया जाता है।

29/1/21

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

29/1/21

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:04:06 IST
Reason: SelfAttested